राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग-1)

क्रमांकः प.3(39)प्र.सु./सम/अनु.-2/97 जयपुर, दिनांक 16/1/13

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिवगण/
प्रमुख शासन सचिवगण/शासन सचिवगण/
संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर्स एवं
समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।

-:: परिपत्र ::-

विषय- जन सुनवाई कर आमजन के परिवादों का त्वरित समाधान करने बाबत्।

आमजन एवं जन प्रतिनिधियों के अभियोगों एवं शिकायतों पर शीघ्र कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। शासन के उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा मुख्यालय पर रहते हुए निर्धारित समय पर जन सुनवाई किये जाने से दूर-दराज से विभिन्न प्रकार की समस्याएं लेकर आने वाले व्यक्तियों को तात्कालिक राहत मिलती है तथा शासन के प्रति विश्वास पैदा होता है। इसी उद्देश्य से जनसुनवाई की व्यवस्था की गई है। यह राज्य सरकार की सुशासन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही की भावना के भी अनुकूल है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्तर पर भी इसे गंभीरता से लिया जाता है।

कालान्तर में सरकार की कार्यपद्धति तथा जनसमस्याओं के स्वरूप में परिवर्तन आ चुका है। बदलते हुए परिवेश में राजकीय प्राथमिकता में भारी बदलाव हुआ है। जनसुनवाई के दौरान आप कई स्थानीय समस्याओं से परस्पर रूबरू होते हैं अपितु जनता को अपनी समस्याओं से अवगत कराने का मौका मिलता है तथा जनप्रतिनिधि भी इस अवसर पर समस्याओं से आपको अवगत करा सकते हैं। इनका समय रहते समाधान किये जाने से दूरगामी अच्छे परिणाम सामने आते हैं।

अतः निर्देश दिये जाते हैं कि सभी अधिकारी भविष्य में प्रत्येक कार्यदिवस को अपरान्ह 2.00 बजे से 3.00 बजे तक का समय जनसुनवाई हेतु अनिवार्य रूप से निर्धारित करेंगें तथा इस दौरान अपने कार्यालय में उपलब्ध रहना सुनिश्चित करेंगें।

अपरान्ह 2.00 बजे से 3.00 बजे तक का समय खास तौर से इसलिए रखा गया है, जिससे सभी ग्रामीण अपने प्रार्थना पत्र/ज्ञापन/शिकायत पत्र देकर उपलब्ध साधनों से वापस अपने-अपने गांव/गन्तव्य स्थानों पर समय पर पहुँच सके। इस दौरान किसी भी बैठक का आयोजन नहीं किया जावेगा। किन्हीं कारणों से यदि आप मुख्यालय पर उपलब्ध नहीं रहते हैं तो आपकी अनुपस्थिति में आपके द्वारा अधिकृत

अन्य अधिकारी उक्त समय में आवश्यक रूप से कार्यालय में उपस्थित रह कर जनसुनवाई का कार्य सम्पादित करेगें।

आमजन की सुनवाई को सुनिश्चित किये जाने के लिये यह भी आवश्यक है कि सप्ताह में एक दिन (सोमवार) कोई भी अधिकारी साधारणतः अपने कार्यक्षेत्र में भ्रमण पर नहीं जायेगें, वे पूरे दिन अपने मुख्यालय पर ही उपस्थित रहकर राजकीय कार्य सम्पादित करेगें। इस दौरान आमजन की सुनवाई के लिये अधिक से अधिक समय देंगें।

तद्नुसार उपस्थित नहीं रहने की आमजन की शिकायत को गम्भीरता से लिया जायेगा।

यह परिपत्र इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी परिपत्रों को अतिक्रमित करते हुए जारी किया जा रहा है।

(सी.के. मैथ्यू) 16/1/13
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव (उप सचिव), मुख्य सचिव।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्रीजी।
4. रक्षित पत्रावली।

(चन्द मोहन मीणा)
प्रमुख शासन सचिव

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 26(परिपत्र)स्था/निकाशि/13/445 दिनांक: 7 फरवरी, 2013

निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।
2. समस्त संयुक्त निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।
3. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
4. डा0 धीरेन्द्र देवर्षि, बेवसाईट प्रभारी, निदेशालय। कृपया उक्त परिपत्र को विभाग की बेवसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

संयुक्त निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर